

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)



महत्वपूर्ण

प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय,
आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून.

दूरभाष : 0135-2608125. फ़ैक्स : 2608126.

ईमेल : ut-urda@pmgsy.nic.in.

urda@yahoo.com.

दिनांक 06 मई, 2016

संख्या: 372 / आई04-21 / यू0आर0आर0डी0ए0 / 2015

शुद्धिपत्र

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता, (गढवाल/कुमाँऊ)
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड।

विषय:- ऑडिट द्वारा उल्लेखित विभिन्न बिन्दुओं पर जारी दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- 347 / आई04-21 / यू0आर0आर0डी0ए0 / 2015 दिनांक 05.05.16।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 347 / आई 04-21 / यू0आर0आर0डी0ए0 / 2015 दिनांक 05.05.16 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पृष्ठ 3 के पैरा 2 "इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार के कारण कार्य delay होता है तो प्रति सप्ताह Initial Contract Price की 1 प्रतिशत लागत के बराबर Liquidated Damages के साथ समय वृद्धि प्रदत्त की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 7 सप्ताह हो सकती है", को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

"इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार के कारण कार्य delay होता है तो प्रति सप्ताह Initial Contract Price की 1 प्रतिशत लागत के बराबर Liquidated Damages के साथ समय वृद्धि प्रदत्त की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 सप्ताह हो सकती है।"

कृपया तदानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(Handwritten Signature)
6/5/16
(ए0 के0 दिनकर)
मुख्य अभियन्ता